सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
503/2017	दावा 53,88 RTA	30.05.2017	06.11.2017

1. रिशालसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
2. भगवतीसिंह पुत्र सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
2. महेन्द्रसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
3. सायरकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
4. मुन्नीकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
5. पुष्पाकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
6. सजनकंवर बेवा सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
7. भगवानसिंह पुत्र सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
8. कृष्णसिंह पुत्र सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील वा जिला चूरू
9. बेबीकंवर पुत्री सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
10. कमलेशकंवर बेवा गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
11. शुभमसिंह पुत्र गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
12. नीलमकंवर पुत्री गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
13. पूजाकंवर पुत्री गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
14. ज्योतिकंवर पुत्री गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
15. इचरजकंवर बेवा लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
16. वीरेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
17. जितेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू
18. भंवरसिंह पुत्र भंवरीकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी खुडानिया जिला झुन्झुनू
19. मनीषसिंह पुत्र भंवरीकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी खुडानिया जिला झुन्झुनू
20. भंवरकंवर पुत्री भंवरीकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी खुडानिया जिला झुन्झुनू
21. किरणकंवर पुत्री भंवरीकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी खुडानिया जिला झुन्झुनू
22. गजराजकंवर पुत्री भंवरीकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी खुडानिया जिला झुन्झुनू
23. कैलाशकंवर पुत्री भंवरीकंवर पुत्री अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी खुडानिया जिला झुन्झुनू
24. विक्रमसिंह पुत्र रूकमणकंवर जाति राजपूत निवासी उतरासर तह. वा जिला झुन्झुनू
25. उम्मेदसिंह पुत्र रूकमणकंवर जाति राजपूत निवासी उतरासर तह. वा जिला झुन्झुनू
26. उच्छबकंवर पुत्री रूकमणकंवर जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ
27. संतोषकंवर पुत्री रूकमणकंवर जाति राजपूत निवासी आबरसर तहसील रतनगढ
28. सुमनकंवर पुत्री रूकमणकंवर जाति राजपूत निवासी रेबारा का बास चांदगोठी
29. धापूकंवर पुत्री रूकमणकंवर जाति राजपूत निवासी महलाणा तहसील राजगढ
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत वादीगण
2. अधिवक्ता श्री कृपालसिंह राठौड़ प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 512/409 तादादी 26 बीघा 19 विश्वा रोही कड़वासर तहसील चूरू में स्थित है उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 की पैतृक कृषि भूमि है तथा उपरोक्त वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवीगण सं. 1 से 29 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ प्रस्तुत है। यह कि वादी सं. 1 के पिता एवं वादी सं. 2 के दादा अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी कड़वासर तहसील चूरू का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान का कुर्सीनामा निम्न अनेक्जर क दावा हाजा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके अनुसार स्व. अनोपसिंह के जायज वारिसान में ईश्वरसिंह, सम्पतसिंह, रिशालसिंह, लक्ष्मणसिंह, सुरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह, भंवरीकंवर, रूकमणकंवर, सायरकंवर, मुनीकंवर, पुष्पाकंवर पुत्र–पुत्रियां हैं जिनमें से पुत्र ईश्वरसिंह व उनकी पत्नी उछवकंवर (लाऔलाद फौत), सम्पतसिंह (फौत), लक्ष्मणसिंह (फौत), भंवरीकंवर (फौत), रूकमणकंवर (फौत) हो चुकी है। सम्पतसिंह के जायज वारिसान में सज्जनकंवर पत्नी व भगवानसिंह, भगवतीसिंह, कृष्णसिंह, बेबीकंवर पुत्र–पुत्रियां मौजूद हैं तथा एक पुत्र गजराजसिंह फौत हो चुके हैं जिनके जायज वारिसान में कमलेशकंवर पत्नी, शुभमसिंह, नीलमकंवर, पूजाकंवर, ज्योतिकंवर पुत्र–पुत्रियां मौजूद हैं। लक्ष्मणसिंह के जायज वारिसान में इचरजकंवर पत्नी, वीरेन्द्रसिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्रगण मौजूद हैं। भंवरीकंवर के जायज वारिसान में भंवरसिंह, मनीषसिंह, भंवरकंवर, किरणकंवर, गजराजकंवर, कैलाशकंवर पुत्र–पुत्रियां मौजूद हैं। रूकमणकंवर के जायज वारिसान में विक्रमसिंह, उम्मेदसिंह, उच्छबकंवर, संतोषकंवर, सुमनकंवर, धापूकंवर पुत्र–पुत्रियां मौजूद हैं।

इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार ईश्वरसिंह पुत्र अनोपसिंह वा उनकी पत्नी उच्छबकंवर पत्नी ईश्वरसिंह का लाऔलाद देहान्त हो चुका है उनके कोई वारिस सन्तान नहीं होने से उन्हें दावा हाजा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार से खातेदार सम्पतसिंह पुत्र अनोपसिंह का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान वादी सं. 2 एवं प्रतिवादीगण सं. 6 से 9 हैं एवं गजराजसिंह पुत्र सम्पतसिंह का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 10 से 14 हैं एवं खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र अनोपसिंह का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 15 से 17 हैं एवं खातेदार भंवरकंवर पुत्री अनोपसिंह का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान प्रतिवादीगण सं. 18 से 23 है, रूकमणकंवर पुत्री अनोपसिंह राजपूत का भी देहान्त हो चुका है जिनके कानूनी वारिसान प्रतिवादीगण सं. 24 से 29 को दावा हाजा में पक्षकार बनाया गया है। यह कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा स्व0 अनोपसिंह जी के वारिसान हैं वादगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 की पैतृक भूमि है इस पैतृक भूमि का हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 के पूर्वज अनोपसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही करीब 30 वर्ष पूर्व सभी वारिसान की उपस्थिति में एवं सभी वारिसान की सहमति से अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का मौखिक पारिवारिक

समझौता/बंटवारानामा कर दिया था। इस समझौते के अनुसार वादगत कृषि भूमि ख.नं. 512/409 तादादी 26 बीघा 19 विश्वा रोही कड़वासर तहसील चूरू जो हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 के संयुक्त खातेदारी वा कब्जा काश्त की पैतुक भूमि थी, को केवल वादी सं. 1 के 1/2 हिस्सा वा पांती में एवं वादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा वा पांती में रखा गया था तथा अन्य कृषि भूमियां जो स्व. अनोपसिंह के खातेदारी वा कब्जा काश्त की थी, उन भूमियों में अन्य सहखातेदारों को उनका हिस्सा के मुताबिक मौखिक रूप से बंटवारा कर दिया थ जिसके मुताबिक आज तक हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 का आज तक कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है।

यह कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 512/409 तादादी 26 बीघा 19 विश्वा रोही कड़वासर तहसील चूरू में अन्य सभी सहखातेदारों ने मौखिक बंटवारानामा में मौखिक रूप से अपने हिस्से का परित्याग हम वादीगण के पक्ष में कर दिया था। वादगत भूमि का खाता संयुक्त खातेदारी में उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त नहीं करवाने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि ना तो प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 का वादगत कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा मौखिक बंटवारानामा के पश्चात् भी इस भूमि पर नहीं रहा है, ना ही मौके पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 का रहा है जिसे राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त कियो जाने बाबत यह दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 512/409 तादादी 26 बीघा 19 विश्वा रोही कड़वासर तहसील चूरू में मौखिक बंटवारानामा के बाद से लेकर आज तक लगातार वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वा उपयोग उपभोग हम वादीगण का ही चला आ रहा है। चूंकि भूमि का खाता शामिल में चला आ रहा है जिससे भविष्य में पक्षकारों के मध्य विवाद होने की सम्भावना ना हो इसलिए हम वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवा कर विभाजन करने हेतु यह दावा अदालतवाला के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि के कब्जे काश्त वा हिस्से को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अभी तक वादगत कृषि भूमि का विधिवत तरीके से विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वादगत कृषि भूमि में से वादी सं. 1 के 1/2 हिस्सा भूमि एवं वादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की भूमि का खाता बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर अलग खाता वा लगान कायम करावे जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा वा कहलवाया कि साथ में चलकर भूमि का रिकार्ड मौखिक बंटवारानामा के मुताबिक दुरूस्त करवा देवें मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे वा आखिर दिनांक 01.05.17 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया लिहाजा यही तारीख विनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त है।

यह कि दावा कृषि भूमि विभाजन का है जो डिग्री होने की सूरत में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज तहसीलदार के माध्यम से होना है इसलिए राजस्थान सरकार को दावा में तरतीबी पक्षकार प्रतिवादी सं. 30 बनाया गया है मगर दावा में दाज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डलने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि निवास स्थान फैरीकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्ररशुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 512/409 तादादी 26 बीघा 19 विश्वा रोही कड़वासर तहसील चूरू में वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा एवं वादी सं. 2 का 1/2 हिस्सा खातेदारी वा कब्जा काश्त का है एवं उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाया जावे।

(ख) जरिये डिक्री कृषि विभाजन उप मद क में अंकित कृषि भूमि में वादी सं. 1 के 1/2 हिस्सा एवं वादी सं. 2 के 1/2 हिस्सा की भूमि का विभाजन By meets and bounds किया जाकर अलग खाता कायम करवाया जावे, अलग ही लगान कायम किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे

(घ) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 29 की ओर से श्री कृपालसिंह राठौड़ एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 29 ने अपने इकबाल जवाबदावा में अंकित किया कि मद सं. 1 से 5 अर्जीदावा बाबत हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है, स्वीकार किया जाता है। मद सं. 6 अर्जीदावा का सम्बन्ध हम प्रतिवादीगण से नहीं है इसलिए जवाब की आवश्यकता है। मद सं. 7 व 8 अर्जीदावा स्वीकार है। अंतिम मद अनुतोष मय उपमदात क से घ के बाबत हम प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। स्वीकार किया जाता है। अतः जवाबदावा मय इकबालदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रकार से दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

दावा वादीगण के समस्त प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 की ओर से जवाबदावा मय इकबालदावा पेश होने पर दावा में तनकियात कायम किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई जिस पर साक्ष्यवादी रिशालसिंह व भगवतीसिंह ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र ड़ं.1 व ड़ं.2 पेश किये जिनसे वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। शपथ पत्र बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। वकील वादीगण के अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर साक्ष्यवादी बनद की गई। वकील प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि हम साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराना चाहते, जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वकील उभयपक्ष ने अपनी संयुक्त बहस में कथन किया कि वादीगण की ओर से पेश दावा पर समस्त प्रतिवादीगण अपन इकबालदावा पेश कर चुके हैं तथा सभी प्रतिवादीगण ने दावा पर अपनी सहमति दी है। अतः वादीगण की ओर से पेश दावा को पेश दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जावे। दावा डिक्री किये जाने में हम उभयपक्ष सहमत हैं।

वादीगण द्वारा पेश दावा मय दस्तावेज एवं इकबालदावा प्रतिवादी सं. 1 से 29 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 512/409 तादादी 26 बीघा 19 विश्वा रोही कड़वासर तहसील चूरू की भूमि को अपनी

पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की होना अंकित करते हुए अपने पिता व पूर्वज स्व. अनोपसिंह के समय ही सभी जायज वारिसान की सहमति से मौखिक रूप से बंटवारा किया जाकर वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी सं. 1 को व 1/2 हिस्सा भूमि वादी सं. 2 को दिया जाना अंकित किया है तथा उक्तानुसार ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग तत्समय से आज तक वादीगण का ही बताया है। वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित सभी हितबद्ध पक्षकारों को वादीगण ने अपने दावा में पक्षकार प्रतिवादी सं. 1 से 29 बनाया है जिन्होंने अपना जवाबदावा इकबालदावा के रूप में पेश किया है एवं दावा वादीगण पर कोई एतराज या आपत्ति जाहिर नहीं की है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 512/409 तादादी 26.19 बीघा रोही ग्राम कड़वासर का अवलोकन किया गया जिसमें वर्तमान में ईश्वरसिंह सम्पतसिंह रिसालसिंह लक्ष्मणसिंह सुरेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह भंवरीकंवर रूकमणकंवर सायर मुन्नी पुष्पा पुत्र–पुत्रियां अनोपसिंह ब.हि.ब. जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज हैं। उक्त दर्ज खातेदारों में से ईश्वरसिंह व उनकी पत्नी उच्छवकंवर का लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार सम्पतसिंह एवं उनके एक पुत्र गजराजसिंह तथा लक्ष्मणसिंह, भंवरीकंवर, रूकमणकंवर पुत्र–पुत्रियां अनोपसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके जायज वारिसान को दावा में पक्षकार बनाया गया है। सभी मृत खातेदारान व पक्षकारान के मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं तथा स्व. अनोपसिंह का कुर्सीनामा भी संलग्न है जो ग्राम पंचायत कड़वासर से जारी व प्रमाणित शुदा है।

दावा वादीगण, जवाबदावा मय इकबालदावा एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 29 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसमें से वादी सं. 1 का 1/2 हिस्से व वादी सं. 2 का 1/2 हिस्से पर अपने पूर्वज अनोपसिंह के समय से आपसी सहमति से हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण ने अपने दावा में उक्त मौखिक बंटवारे एवं कब्जा काश्त के अनुसार वादगत कृषि भूमि में अपने नाम से 1/2, 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा चाही है एवं इसी अनुसार अपने खाते का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन चाहा है जिस पर उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 से 29 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 से 29 ने वादीगण के दावा अनुतोष को स्वीकार करते हुए कोई एतराज या आपत्ति जाहिर नहीं की है परन्तु उक्त वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें नियमानुसार सभी दर्ज खातेदार एवं उनके जायज वारिसान का हित निहित है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादगत कृषि भूमि में से परित्याग किये जा रहे अपने–अपने हिस्सों का बिना विधिवत परित्याग एवं विक्रय पत्र करवाये मात्र इकबाल जवाब के आधार पर दूसरे हिस्सेदारों का नाम हटाकर वादीगण को 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की घोषणा से राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि होने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिए वादीगण द्वारा पेश घोषणात्मक एवं खाता विभाजन का दावा में मात्र अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी तो हैं परन्तु दूसरे खातेदारों के हिस्से की खातेदारी अपने नाम से घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण चाहें तो सह खातेदारों से अपने–अपने हिस्सों की भूमि का परित्याग अपने पक्ष में करवा कर खाता विभाजन करवा सकते हैं। वादीगण द्वारा पेश दावा स्टाम्प ड्यूटी बचाने की मंशा से किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार राज्य सरकार को होने वाली भारी राजस्व हानि के मध्यनजर दावा वादीगण उचित नहीं होने से स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर दावा वादीगण उचित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू